न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन स. 77 / 2023

पीठासीन अधिकारी – **कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस**

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

प्रार्थीगण :– 1. मोटु 2.अरबाब 3.जादम पि.मुबीन 4.करीम
5.नजीर 6.हनीफ पि.मोटू, जातियान मुसलमान,
निवासी नया भोजारिया, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:– 1. अलु पुत्र जिमा 2. इशाक पुत्र जिमा के का.मु. – 2 / 1.हकीम
2 / 2.अमीर 2 / 3.रोशन 2 / 4.पनू 2 / 5.इमाम पि.इशाक
3.सेरू पुत्र जिमा, जातियान मुसलमान
4.खेराज 5.तेजा 6.लाखा पि.चैना 7.चिमूदेवी पत्नि खेराजराम
जाति जाट, निवासी नया भोजारिया, तहसील चौहटन(बाडमेर)
8.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थीगण – **श्री जुगतसिंह सोढा**
विप्रार्थीगण :– **एकतरफा**

निर्णय

दिनाक – 01.01.2025

प्रार्थीगण के आवेदन का सार सक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण स. 1 से 3 द्वारा मौजा भोजारिया,पटवार हल्का बीजराड, तहसील चौहटन मे जुमा वल्द लाला कौम मुसलमान, निवासी भोजारिया, सिला वल्द सेफल, कौम मुसलमान, निवासी भोजारिया से उनके खातेदारी के खेत खसरा स. [illegible] भूमि दिनाक 10.07.1975 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की थी [illegible] क्रय के समय बेचान पत्र मे प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गई भूमि के [illegible] निम्ना[illegible] विक्रयपत्र उल्लेखित किये गये थे तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण को [illegible] किया गया था

आथमण दिशा मे खसरा स. 403 / 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.06 11:49:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पूर्व दिशा में महेन्द्राराम उर्फ मदा का खेत

उतर दिशा में रूका वल्द जलाल वगैरा

दखण दिशा में इसी खसरे की शेष भूमि सेढे पर स्थित है।

उक्त विक्रयपत्र के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 464 पारित किया गया था।

प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गई भूमि के वर्तमान मौजा नया भोजारिया पटवार क्षेत्र भोजारिया तहसील चौहटन में खसरा सं. 510/403 रकबा 21.3026 हैक्टयर (132.00 बीघा) स्थित है।

विप्रार्थी सं. 1 से 7 एवं प्रार्थी सं. 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा नया भोजारिया पटवार हल्का भोजारिया तहसील चौहटन में खसरा सं. 403 रकबा 15.9770 हैक्टयर स्थित है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खसरान की तरमीम वक्त बेचान के समय बेचानकर्ता द्वारा प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को सुपुर्द किये गए कब्जा काश्त एवं विक्रयपत्र में वर्णित पड़ौसान अनुसार सही की गई लेकिन वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रेकर्ड को ऑनलाइन करते समय विप्रार्थीगण से मिलीभगत कर गलत तरमीम कर दी। जहां पर प्रार्थीगण के खसरान का कब्जा काश्त व पड़ौसान थे वहां पर विप्रार्थीगण के खसरा सं. 403 रकबा 15.9770 हैक्टयर की तरमीम कर दी तथा जहां पर विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त था वहां पर प्रार्थीगण के खसरा सं. 510/403 रकबा 21.3026 हैक्टयर की तरमीम कर दी गई। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा वर्तमान नक्शे में की गई तरमीम एवं पड़ौसान के बिल्कुल विपरीत है।

उक्त गलत तरमीम की आड में विप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जा काश्त, ढाणिया टांके पर अवैध आधिपत्य करना शुरू कर दिया है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त गलत तरमीम को दुरस्त करवाने का [illegible] आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Ghouhan
Date: 2025.02.06 11:49:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का आवेदन द[illegible] किया[illegible] विप्रार्थीगण को जरिये रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की [illegible] नहीं आया, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदन में वर्णित वादग्रस्त भूमि की

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

तरमीम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार की तथा निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा **131, 136 RLR Act** का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा नया भोजारिया (भोजारिया) के खसरा सं. 510/403 रकबा 21.3026 हैक्टयर एवं खसरा सं. 403 रकबा 15.9770 हैक्टयर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट के परिशिष्ट **"ब"** अनुसार तरमीम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवाय अंग रहेंगे। तहसीलदार चौहटन को आदेश दिये जाते है कि आप द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में जमाबन्दी अनुसार स्थगन आदेश का अंकन बताया गया है, अतः उक्त निर्णय की पालना स्थगन आदेश के प्रभावी रहने तक प्रभावित रहेगी, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश हो तो निर्णय की पालना उसके अधीन रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.06 11:49:56 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
चौहटन